ई-मेल

संख्या-I/905249/2025/8-3099/303/2023

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 12 मार्च, **2025**

विषयः- बेसमेन्ट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेन्ट की भॉति एक्सटेन्डेड बेसमेन्ट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि बेसमेन्ट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेन्ट की भॉति एक्सटेन्डेड बेसमेन्ट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के 'अध्याय-3.9 'भू-गेह (बेसमेन्ट)' के प्रस्तर-3.9.1 (IV) में निम्नानुसार नया खण्ड (ज) जोड़े जाने तथा प्रस्तर-3.9.2(VII) को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रस्तर	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
3.9.1 संरचना/प्रयोजन	--	**(IV)(ज)** बिल्डिंग एनवलप लाईन के अन्तर्गत अधिकतम 04 वर्गमीटर क्षेत्रफल का शौचालय जिसमें प्राकृतिक/मेकेनिकल वेन्टीलेशन का प्राविधान हो तथा वेस्ट वाटर के समुचित निकासी के लिए पम्पिंग व्यवस्था हो।
	(VII) स्टिल्ट फ्लोर के नीचे यदि पार्किंग हेतु बेसमेन्ट का प्राविधान	**(VII)** "स्टिल्ट फ्लोर के नीचे यदि पार्किंग

3.9.2 बेसमेन्ट के लिए अपेक्षाएं	किया जाता है अथवा भवन के बाहर पार्किंग हेतु एक्सटेन्डिड बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है, तो बेसमेन्ट की छत भूतल के लेविल में होगी और उसके मैकेनिकल वैन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी तथा स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन, आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।"	अथवा प्रस्तर-3.9.1 (VI) में वर्णित प्रयोजनों हेतु बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है अथवा भवन के बाहर पार्किंग अथवा प्रस्तर-3.9.1(VI) में वर्णित प्रयोजनों हेतु एक्सटेन्डिड बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है, तो बेसमेन्ट की छत भूतल के लेविल में होगी और उसमें मैकेनिकल वैन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी तथा स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।"

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (यथा संशोधित) के अध्याय-3.9 में किये गये उपर्युक्त संशोधनों को अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से तत्काल अंगीकृत करते हुए इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Guru Prasad Porwal
Date: 19-03-2025 12:25:52

(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में प्रतिभाग किये जाने एवं सूचनार्थ प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव